06/10/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम बल्लभदासपुरा के हाल खाता संख्या 184 की खातेदारी में समवत 2032–35 में गोरिया पि0 लादिया एवं मांगु पुत्र लिछमन हिस्सा बराबर 1/3 तथा शेष हिस्से की खातेदारी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रही है। सम्वत 2072–2075 तक खातेदारी में प्राथी हरला, भागला पुत्रगण गोरिया एवं शैतानराम, नागरमल, नानचाराम पुत्रगण मांगुराम के नाम हिस्सा बराबर हिस्सा 1/3 दर्ज रही है। परन्तु राजस्व कार्मिकों ने भूलवश जमाबन्दी 2075–78 में नागरमल हिस्सा 1/15, नानचराम हिस्सा 1/15, शैतानराम हिस्सा 1/15 पुत्रगण मांगुराम व भागला हिस्सा 1/15, हरला हिस्सा 1/15 पुत्रगण गोरिया दर्ज है। जबकि सही प्रविष्टि नागरमल हिस्सा 1/18, नानचराम हिस्सा 1/18, शैतानराम हिस्सा 1/18 पुत्रगण मांगुराम व भागला हिस्सा 1/12, हरला हिस्सा 1/12 पुत्रगण गोरिया दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गत जमाबन्दियों की प्रतियां प्रस्तुत की है। तहसीलदार नीमकाथाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 द्वारा अनुतोष प्रदान करने का कथन किया है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी गलत है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
बल्लभ दासपुरा	खाता संख्या 179	नागरमल पुत्र मांगूराम हि0 1/15, नानचराम पुत्र मांगूराम हि0 1/15 शैतानराम पुत्र मांगूराम हि0 1/15 भागला पुत्र गोरिया हि0 1/15, हरला पुत्र गोरिया हि0 1/15	नागरमल पुत्र मांगूराम हि0 1/18, नानचराम पुत्र मांगूराम हि0 1/18 शैतानराम पुत्र मांगूराम हि0 1/18 भागला पुत्र गोरिया हि0 1/12, हरला पुत्र गोरिया हि0 1/12

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)